न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—21/2017/225 (2017/00021)

1. मोतीलाल पुत्र चन्द्रा (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— गुलाबदेवी बेवा स्व0 मोतीलाल,
   1/2— हरिसिंह पुत्र स्व0 मोतीलाल,
   1/3— रामप्रसाद पुत्र स्व0 मोतीलाल,
   1/4— सुमित्रा पुत्री स्व0 मोतीलाल,
   1/5— ललिता पुत्री स्व0 मोतीलाल,
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम देवलियाकंला, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. धन्ना पुत्र माधू, जाति रेगर, निवासी देवलिया कंला, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 22.12.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 18/2015.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय दिनांक 22.12.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देवलिया कंला, तहसील भिनाय स्थित आराजी खसरा नंबर 3296 रकबा 0.45 है0 जिसके पुराने खसरा नंबर 3730 रकबा 0.45 है0 राजस्व अभियान में दिनांक 28.5.1984 के तहत गैर खातेदारी प्रदान की ई थी व इसी प्रकार तहसीलदार, केकडी के द्वारा शुद्धि पत्र क्रम संख्या 4 के अनुसार खातेदार मोती पुत्र चन्द्रा अहीर के नाम की गई जो कि वर्किंग जमाबंदी ग्राम देवलिया कंला से पूर्णतया स्पष्ट है एवं कब्जा काश्त आज भी अपीलांटस का ही चला आ रहा है । परन्तु भू—प्रबंध विभाग ने बिना

किसी सक्षम आदेश के उपरोक्त भूमि को गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दिया तत्पश्चात् विपक्षी प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम आवंटन कर दिया जो गलत होने से काबिल दुरूसत किए जाने योग्य है । इसलिये विपक्षी को ताफैसला वाद आराजी मुतनाजा का बेचान नहीं करने एवं अपीलांटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णरू दिनांक 22.12.2016 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट बाजवूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वर्किंग जमाबंदी ग्राम देवलिया कंला की पेश की थी जिसमें विवादित आराजी की खातेदारी अपीलांटस के नाम दर्ज है । इसके बावजूद भी बिना प्रथम दृष्टया प्रकरण को देखे अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर पर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित किया है । विवादित आरातजी पर अपीलांटस काबिज होकर काश्त कर रहे है इस बाबत् अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष खसरा गिरदावरी संवत् 2042 से 2045 प्रस्तुत की थी जिसमें मोती की काश्त दर्ज है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2046 से 2049, 2050 से 2053 व 2054 में भी अपीलांटस का कब्जा काश्त दर्ज है । अधी0न्याया0 ने फर्द अहकाम पर केवल मात्र 4 लाईनों का आदेश लिखकर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि फर्द अहकाम पर केवल आदेशिका लिखी जाती है कि अमुख तारीख पेशी पर प्रकरण में क्या हुआ परन्तु आदेशिका में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का कोई आधार पर अपने निर्णय में वर्णित नहीं किया है । अधी0न्याया0 का आदेश नोन–स्पीकिंग आदेश है जो विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता हैं धारा 212 राज0काश्त0अधि0 की मंशा के अनुरूप विवादित भूमि को प्रोटेक्ट किया जाना अनिवार्य है जबकि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पो0 को आराजी के बेचान की खुली छूट प्रदान कर दी है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित की गई है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी आवंटन के अनुसरण में रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है । अपीलांटस का वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । उक्त वाद में अपीलांटस/वादीगण को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है यह तो वाद में बाद साक्ष्य निर्णित होगें परन्तु वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी का आवंटन के आधार पर खातेदार काश्तकार होकर विवादित आराजी पर काबिज काश्त है । प्रथमदृष्टया दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में पाया जाता है । यदि विवादित आराजी से

रेस्पो0 संख्या 1 को बेदखल किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी रेस्पो0 को ही होने की संभावना है । रेस्पो0 संख्या 1 सद्भाविक आवंटी है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर